[2019] 11 एस.सी.आर. 597

अमीर हमजा शेख और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1217)

अगस्त 07, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एसएस.301, 302 - अभियोजन चलाने की अनुमति - प्रतिवादी ने धारा 302 सीआरपीसी के संदर्भ में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। 498ए, 406 आर/डब्ल्यू. आईपीसी की धारा 34 - ट्रायल कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया - हालांकि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन चलाने की अनुमति दी - अपील पर, माना: हालांकि मजिस्ट्रेट केवल पूछने पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पीड़ित को अदालत की सहायता करने का अधिकार है मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा - मजिस्ट्रेट इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या पीड़ित न्यायालय की सहायता करने की स्थिति में है और क्या मुकदमे में ऐसी जटिलताएँ शामिल नहीं हैं जिन्हें पीड़ित द्वारा नहीं संभाला जा सकता है - ऐसे तथ्यों से संतुष्ट होने पर, मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले की जांच के लिए पीड़ित को अनुमति देना उसके अधिकार क्षेत्र में होगा - उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को उक्त मापदंडों की जांच किए बिना मुकदमा चलाने की अनुमति दी, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया और वह मजिस्ट्रेट को अलग रखा गया - मामला मजिस्ट्रेट को इस बात पर विचार करने के लिए भेजा जाता है कि क्या शिकायतकर्ता को ss.498-A, 406 r/w के तहत अपराधों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। धारा 34 आईपीसी.

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

आयोजित: 1. जे.के. में अंतर्राष्ट्रीय बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) और अन्य, यह माना गया है कि यदि ऐसी अनुमति देने से न्याय की बेहतर सेवा होगी, तो मजिस्ट्रेट की अदालत आम तौर पर ऐसी अनुमति देगी। जब आपराधिक अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेती है, तो एक पीड़ित निजी व्यक्ति को उस परिदृश्य से पूरी तरह से वंचित नहीं किया जाता है। [पैरा 13]

2. मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) का प्रतिनिधित्व एलआर बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के माध्यम से किया गया, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति मलिमथ समिति को मंजूरी दे दी, जिसमें पीड़ित के आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार शामिल है जिसमें शामिल होने का अधिकार, जानने का अधिकार, अधिकार शामिल है। सुना जाए और सत्य की खोज में न्यायालय की सहायता करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। [पैरा 14]

3. ऐसे निर्धारित सिद्धांतों के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि यद्यपि मजिस्ट्रेट केवल पूछने पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में न्यायालय की सहायता करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या पीड़ित न्यायालय की सहायता करने की स्थिति में है और क्या मुकदमे में ऐसी जटिलताएँ शामिल नहीं हैं जिन्हें पीड़ित द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसे तथ्यों से संतुष्ट होने पर, मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले की जांच पीड़ित को सौंपने की अनुमति देना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में होगा। [पैरा 15]

4. उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को यहां ऊपर दिए गए मापदंडों की जांच किए बिना मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसलिए, उच्च न्यायालय और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। मामला मजिस्ट्रेट को इस बात पर विचार करने के लिए भेजा जाता है कि क्या शिकायतकर्ता को धारा 498-ए, 406 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। [पैरा 16]

शिव कुमार बनाम हुकम चंद एवं अन्य। **(1999) 7 एससीसी 467 : [1999] 2 पूरक। एससीआर 81;** *जे.के. अंतर्राष्ट्रीय बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य।* ***(2001) 3 एससीसी 462 : [2001] 2 एससीआर 90;*** *धारीवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम किशोर वाधवानी और अन्य।* **(2016) 10**

एससीसी 378: [2016] 5 एससीआर 212; *मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) ने एलआर बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया।* **(2019) 2 एससीसी 752 - पर निर्भर।**

बाबू बनाम केरल राज्य **1984 क्रिएलजे 499 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1999] 2 पूरक। एससीआर 81	**पैरा 8**	**पर भरोसा किया गया**
[2001] 2 एससीआर 90	**पैरा 9**	**पर भरोसा किया गया**
[2016] 5 एससीआर 212	**पैरा 10**	**पर भरोसा किया गया**
(2019) 2 एससीसी 752	**पैरा 11**	**पर भरोसा किया गया**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1217

2018 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 4939 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.11.2018 से

अशोक अरोड़ा, सुरजीत सिंह, विश्व पाल सिंह, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए.

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंडारी, करमसिंह राजपूत, अब्दुलरहमान तांबडी, एस गौतमन, वकील। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हेमन्त गुप्ता, जे.

1. छुट्टी स्वीकृत.

2. वर्तमान अपील में चुनौती 27 नवंबर, 2018 को बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश में प्रतिवादी संख्या 2 को दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की अनुमति

देने से इनकार कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता, 18601 की धारा 34 के साथ पठित धारा 498ए, 406 के तहत अनुमति दी गई थी।

3. प्रतिवादी नंबर 2 ने उपरोक्त अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 19732 की धारा 302 के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने बिना कोई कारण बताए अनुमति देने से इनकार कर दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने इस विषय पर दिए गए निर्णयों पर विचार किया और अभियोजन चलाने की अनुमति केवल इस कारण से दी कि आवेदन एक पीड़ित पक्ष द्वारा किया गया है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को केवल इस कारण से यांत्रिक रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी अनुमति एक पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई है। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन का संचालन एक लोक अभियोजक द्वारा किया जाना है जो न्यायालय का एक अधिकारी है और उसे प्रतिशोधी होने और किसी भी पक्ष का पक्ष लेने के बजाय न्याय करने में न्यायालय की सहायता करने की आवश्यकता है। यदि पार्टी को जांच अपने हाथ में लेने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में निष्पक्षता का घोषित उद्देश्य हिल जाएगा।

5. संहिता की वर्तमान धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 495 के समान है। संहिता की धारा 302 इस प्रकार है:

> **"अभियोजन चलाने की अनुमति।** - (1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है; लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी वकील या लोक अभियोजक या बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
>
> (2) अभियोजन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से ऐसा कर सकता है।सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा:

6. यह देखा जा सकता है कि संहिता की धारा 301 के तहत, लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय के समक्ष बिना किसी अधिकार के उपस्थित हो सकता है और पैरवी कर सकता है, जिसमें मामला जांच, परीक्षण या अपील के अधीन है और कोई भी व्यक्ति एक वकील को निर्देश दे सकता है जो इसके तहत कार्य करेगा। लोक अभियोजक के निर्देश और न्यायालय की अनुमति से लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

7. ***बाबू बनाम केरल राज्य3*** में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जांच की कि अनुमति कब दी जानी चाहिए। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> ***"3. ...सुभाष चंद्रन बनाम केरल राज्य*** 1981 केएलटी केस नंबर 125 में इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने कहा:
>
> अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ा गया मामला है, विवेक का उपयोग न्यायिक तरीके से किया जा रहा है। यह सच है कि याचिकाकर्ता, मृतक के बेटे के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसे यह साबित करने का अधिकार है कि आरोपी की ओर से जल्दबाजी और लापरवाही हुई थी और उससे नुकसान का दावा करने का अभियोजन में हित हो सकता है। लेकिन यह तथ्य अपने आप में उसे मामले के प्रभारी सहायक लोक अभियोजक के स्थान पर अभियोजन चलाने की अनुमति देने का आधार नहीं है। यह स्थापित कानून है कि जहां कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है और राज्य द्वारा अभियोजन चलाया जाता है तो अभियोजन में भाग लेना लोक अभियोजक का काम है। आपराधिक अभियोजन का उद्देश्य किसी निजी व्यक्ति की शिकायतों को सही साबित करना नहीं है।

4. धारा 301 के तहत, एक निजी व्यक्ति द्वारा नियुक्त एक वकील अभियोजन के संचालन में लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक की सहायता कर सकता है, जबकि धारा 302 के तहत मजिस्ट्रेट स्वयं अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है। व्यक्ति या उसके द्वारा निर्देशित वकील द्वारा। अंतर यह है कि जब धारा 302 के तहत अनुमति दी जाती है तो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जैसा कि मामला हो सकता है, घटनास्थल से गायब हो जाता है और उस व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया वकील, जो वास्तव में शिकायतकर्ता होगा, अभियोजन के पूर्ण प्रभार में होगा। .....इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 302

के तहत अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में धारा 302 के तहत अनुमति दी जा सकती है। अन्यथा, कोई कारण नहीं है कि संहिता में यह प्रावधान क्यों है। लेकिन ऐसा केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि धारा 302 के तहत अनुमति से इनकार मामले में न्याय मिलने के रास्ते में आड़े आएगा। किसी पक्ष की केवल यह आशंका कि लोक अभियोजक अभियोजन चलाने में गंभीर नहीं होगा, केवल इसलिए कि मामले में दोषसिद्धि या बरी होने से लंबित अन्य मामले प्रभावित होंगे, अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही, यदि पक्ष की आशंका सच होने जा रही है तो अदालत मुकदमा लंबित रहने तक धारा 302 के तहत अनुमति दे सकती है, भले ही अनुमति का अनुरोध शुरू में ही खारिज कर दिया गया हो।

"8. इस न्यायालय **ने शिव कुमार** बनाम **हुकम चंद एवं अन्य 4** में संहिता की धारा 301 और 302 के दायरे के बीच अंतर की जांच की है। यह माना गया है कि संहिता की धारा 302 मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराधों के संबंध में लागू होती है। यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति देने में सक्षम बनाता है, जबकि संहिता की धारा 301 के संदर्भ में, कोई भी निजी व्यक्ति किसी वकील को किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी मुकदमे में लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करने का निर्देश दे सकता है। साक्ष्य समाप्त होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत करें। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

> “12. उपरोक्त प्रावधानों की पृष्ठभूमि में हमें संहिता की धारा 301 के तात्पर्य को समझना होगा। संहिता में इसके आगामी प्रावधान के विपरीत, जिसका अनुप्रयोग मजिस्ट्रेट अदालतों तक ही सीमित है, यह विशेष धारा आपराधिक क्षेत्राधिकार की सभी अदालतों पर लागू होती है। इस अंतर को धारा 301 में "किसी भी न्यायालय" शब्द के प्रयोग से समझा जा सकता है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए आगामी खंड में किए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, धारा 301(2) में निहित आग्रह को अन्य सभी न्यायालयों पर लागू समझा जाना चाहिए। बिना किसी अपवाद के. पहली उपधारा लोक अभियोजक को बिना किसी लिखित प्राधिकार के अदालत में दलील रखने का अधिकार देती है, बशर्ते वह मामले का प्रभारी हो। दूसरी उप-धारा, जिसे अपीलकर्ता द्वारा लागू करने की मांग की गई है, किसी भी निजी पक्ष द्वारा नियुक्त वकील पर प्रतिबंध लगाती

है। यह ऐसे अभियोजन के दौरान "सार्वजनिक अभियोजक के निर्देशों के तहत" अदालत में कार्य करने की उनकी भूमिका को सीमित करता है। एकमात्र अन्य स्वतंत्रता जिसका वह संभवतः प्रयोग कर सकता है वह है मुकदमे में साक्ष्य समाप्त होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत करना, लेकिन वह भी तभी किया जा सकता है जब अदालत उसे ऐसा करने की अनुमति दे।

13. संहिता की योजना से विधायी मंशा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि सत्र न्यायालय में अभियोजन लोक अभियोजक के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। विधायिका राज्य को याद दिलाती है कि नीति को सत्र न्यायालय में किसी आरोपी के मुकदमे में निष्पक्षता के अनुरूप सख्ती से पालन करना चाहिए। एक लोक अभियोजक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले में शामिल सही तथ्यों के बावजूद किसी भी तरह से आरोपी को दोषी ठहराने की लालसा दिखाए। अभियोजन चलाते समय लोक अभियोजक के अपेक्षित रवैये पर ध्यान दिया जाना चाहिए न केवल अदालत और जांच एजेंसियों के प्रति बल्कि आरोपियों के प्रति भी निष्पक्षता। यदि कोई अभियुक्त मुकदमे के दौरान किसी वैध लाभ का हकदार है तो लोक अभियोजक को इसे रोकना/छिपाना नहीं चाहिए। इसके विपरीत, लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह इसे सामने लाए और अभियुक्त को उपलब्ध कराए। भले ही बचाव पक्ष के वकील ने इसे नजरअंदाज कर दिया हो, लोक अभियोजक की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि अगर यह बात उसकी जानकारी में आती है तो इसे अदालत के संज्ञान में लाए। यदि एक निजी वकील को अभियोजन चलाने की खुली छूट दी जाए तो वह मामले को सजा दिलाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, भले ही वह दोषी ठहराए जाने के लिए उपयुक्त मामला न हो। यही कारण है कि संसद ने उन पर लगाम लगाई और उनकी भूमिका को लोक अभियोजक द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन रखा।"

9. इस कोर्ट की तीन जजों की बेंच में ***जे.के. अंतर्राष्ट्रीय*** बनाम ***राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) और अन्य 5,*** जहां धारा 420, 406 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों की जांच की गई और अपीलकर्ता की शिकायत के आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया, आरोपी ने याचिका दायर की उन आरोपों को रद्द करना जिनमें शिकायतकर्ता अपनी बात सुनना चाहता था। लोक अभियोजक ने दो और अपराधों को शामिल करने के लिए आरोप में संशोधन करने के

लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे। मजिस्ट्रेट ने आवेदन खारिज कर दिया लेकिन उक्त आदेश को अभियोजन पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई। यह माना गया कि संहिता में योजना इंगित करती है कि जो व्यक्ति अपराध से पीड़ित है, उसे मुकदमे के दृश्य से पूरी तरह से मिटा नहीं दिया जाता है, केवल इसलिए कि जांच पुलिस ने अपने हाथ में ले ली है। इस न्यायालय ने धारा 301 और धारा 302 की उप-धारा (2) के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार कहा:

> "9. दंड प्रक्रिया संहिता में परिकल्पित योजना इंगित करती है कि एक व्यक्ति जो किए गए अपराध से पीड़ित है, उसे मुकदमे के परिदृश्य से पूरी तरह से मिटा नहीं दिया जाता है, केवल इसलिए कि जांच पुलिस ने अपने हाथ में ले ली थी और आरोप पत्र दायर कर दिया था। उन्हें। यहां तक कि यह तथ्य कि अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया था, उसे अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए अदालत तक पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि सत्र न्यायालय में, जहां लोक अभियोजक ही संहिता की धारा 225 के अनुसार अभियोजन चलाने के लिए सशक्त एकमात्र प्राधिकारी है, एक निजी व्यक्ति जो शामिल अपराध से पीड़ित है

मामले में मुकदमे में भाग लेने से पूरी तरह से वंचित नहीं किया गया है। इसे संहिता की धारा 301(2) से समझा जा सकता है जो इस प्रकार है:

> "301. (2) यदि ऐसे किसी भी मामले में कोई निजी व्यक्ति किसी अदालत में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए वकील को निर्देश देता है, तो मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेंगे, और इस प्रकार निर्देश दिया गया वकील निर्देशों के तहत कार्य करेगा। लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, और अदालत की अनुमति से, मामले में साक्ष्य बंद होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।

10. उक्त प्रावधान "पूछताछ और परीक्षण के बारे में सामान्य प्रावधान" शीर्षक वाले अध्याय के अंतर्गत आता है। जब ऐसी भूमिका किसी निजी व्यक्ति को निभाने की अनुमति दी जाती है, हालांकि यह एक सीमित भूमिका है, यहां तक कि सत्र न्यायालयों में भी, तो यह यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि निजी व्यक्ति, यदि वह व्यथित है, तो उसे अदालत से नहीं हटाया जाता है।

आपराधिक अदालत में कार्यवाही केवल इसलिए चलती है क्योंकि मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। आगे यह भी कहा जाना चाहिए कि न्यायालय को ऐसे निजी व्यक्ति को भी सत्र न्यायालय सहित न्यायालय में अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति देने की शक्ति दी गई है। यदि वह ऐसी कोई लिखित दलील प्रस्तुत करता है तो अदालत का कर्तव्य है कि वह निर्णय लेने से पहले ऐसी दलीलों पर विचार करे।

11. ऊपर उल्लिखित ऐसी योजना को ध्यान में रखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि पीड़ित निजी व्यक्ति को खुद को अदालत के गलियारों से बाहर रखना चाहिए जब मामला प्रति पुत्रों द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में उसकी शिकायत से जुड़ा हो। अभियुक्त पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाता है या विचार किया जाता है। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने होता है तो अभियोजन के संचालन में भाग लेने के इच्छुक किसी अन्य निजी व्यक्ति का दायरा अभी भी व्यापक होता है...

xx xx xx

12. जिस निजी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियोजन चलाने की अनुमति है, वह अपनी ओर से अदालत में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक वकील को नियुक्त कर सकता है। यह इस स्थिति को और बढ़ाता है कि यदि कोई निजी व्यक्ति अपने खिलाफ या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किए गए अपराध से व्यथित है, जिसमें उसकी रुचि है तो वह संपर्क कर सकता है।मजिस्ट्रेट और स्वयं अभियोजन चलाने की अनुमति मांगे। अदालत उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। यदि अदालत को लगता है कि ऐसी अनुमति देने से न्याय का उद्देश्य बेहतर ढंग से पूरा होगा तो अदालत आम तौर पर ऐसी अनुमति देगी। बेशक, यह व्यापक आयाम मजिस्ट्रेट अदालतों तक ही सीमित है, क्योंकि सत्र न्यायालय में अभियोजन के संचालन में भाग लेने के लिए ऐसे निजी व्यक्ति का अधिकार बहुत अधिक प्रतिबंधित है और इसे लोक अभियोजक के नियंत्रण के अधीन बनाया गया है। सत्र न्यायालय में अभियोजन के लिए एक निजी व्यक्ति को जो सीमित भूमिका निभाने की अनुमति दी जा सकती है, उसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इन सभी से पता चलता है कि एक पीड़ित निजी व्यक्ति

उस परिदृश्य से पूरी तरह से वंचित नहीं है जब आपराधिक अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेती है। वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि लगभग सभी ऐसे मामलों की उत्पत्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों की शिकायत है कि आरोपियों ने उनके खिलाफ अपराध करके उनके साथ अन्याय किया है।"

10. उपरोक्त दोनों निर्णय धारीवाल ***इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम किशोर वाधवानी और अन्य 6*** में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आए, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने माना था कि शिकायतकर्ता कार्यवाही से अलग नहीं है और इसलिए, उसे ऐसा करने का अधिकार है। आरोप तय करने के चरण में भी सुना गया। उच्च न्यायालय ने आदेश को संशोधित किया और शिकायतकर्ता द्वारा नियुक्त वकील को मामले के प्रभारी लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करने की अनुमति दी। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"13. दोनों निर्णयों को ध्यान से पढ़ने के बाद, हमें विश्लेषण या न्यायालय द्वारा निकाले गए अंतिम निष्कर्ष में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं दिखती है। हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि शिव कुमार [शिव कुमार बनाम हुकम चंद, (1999) 7 एससीसी 467: 1999 एससीसी (सीआरआई) 1277] में, न्यायालय धारा 301 सीआरपीसी के दायरे और व्यापकता से निपट रहा था और उस संदर्भ में देखा गया धारा 302 सीआरपीसी केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए है। जे.के. में अंतर्राष्ट्रीय [जे.के. अंतर्राष्ट्रीय बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार), (2001) 3 एससीसी 462: 2001 एससीसी (सीआरआई) 547] जिस अनुच्छेद को हमने यहां उद्धृत किया है, उससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि एक निजी व्यक्ति हो सकता है। करने की अनुमति दी मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियोजन चला सकता है और अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक वकील को नियुक्त कर सकता है। इसमें आगे की टिप्पणी यह है कि जब किसी निजी व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी जाती है, तो अदालत उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय को यह राय बनानी होगी कि न्याय का उद्देश्य सबसे अच्छा होगा और ऐसी अनुमति देना बेहतर होगा। और, यह आम तौर पर ऐसी अनुमति देगा। इस प्रकार, राय में कोई दरार नहीं है।"

11. ***एलआर*** बनाम ***कर्नाटक राज्य और अन्य 7 के माध्यम से प्रस्तुत मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) मामले*** में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्रीय अधिनियम संख्या 5 द्वारा डाली गई धारा 372 के प्रावधान के संदर्भ में अपील दायर करने के पीड़ित के अधिकार पर विचार किया। 2009 से प्रभावी 31 दिसंबर 2009। इस न्यायालय ने 14 अगस्त 1996 को प्रस्तुत भारतीय विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट पर विचार किया; आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति की रिपोर्ट जिसे आमतौर पर न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है; जुलाई, 2007 की आपराधिक न्याय पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, जिसे प्रोफेसर माधव मेनन समिति और भारत के विधि आयोग की 221वीं रिपोर्ट, अप्रैल, 2009 के रूप में जाना जाता है, और निम्नानुसार देखी गई:

> "5. संसद भी किसी अपराध के पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता देने में सक्रिय रही है। ऐसी एक मान्यता सीआरपीसी के अध्याय XXI-ए के प्रावधानों के माध्यम से है जो दलील सौदेबाजी से संबंधित है। संसद ने मामले के पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटारे में भाग लेने के लिए पीड़ित के अधिकारों को मान्यता दी है। यह किसी गैर-शमनयोग्य मामले की कार्यवाही में भाग लेने के पीड़ित के अधिकार की मान्यता में एक बड़ी छलांग है। इसी तरह, संसद ने कुछ परिस्थितियों में अपराध के पीड़ित को अपील का अधिकार प्रदान करते हुए सीआरपीसी में संशोधन किया है। वर्तमान अपीलें सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान में शामिल इस अधिकार से संबंधित हैं।
>
> xx xx xx
>
> 8. पीड़ितों के अधिकार, और वास्तव में पीड़ित विज्ञान, एक विकासशील न्यायशास्त्र है और स्थिर रहने या इससे भी बदतर, एक कदम पीछे लेने के बजाय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना उचित है। संसद और न्यायपालिका द्वारा अपराध के पीड़ितों को एक आवाज दी गई है और उस आवाज को सुनने की जरूरत है, और यदि पहले से नहीं सुना गया है, तो इसे और अधिक डेसिबल तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह स्पष्ट रूप से सुना जा सके।"

12. न्यायालय ने न्यायमूर्ति मलिमथ समिति के साथ निम्नलिखित तरीके से व्यवहार किया:

"16. इसके बाद, पीड़ितों को न्याय पर मूल अध्याय में, यह नोट किया गया है कि कई न्यायालयों में अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही में भाग लेने और चोट के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। इसे इस प्रकार नोट किया गया:

> "6.3. कई न्यायक्षेत्रों में, विशेषकर महाद्वीपीय देशों में अपराध के पीड़ितों के संबंध में मूल रूप से दो प्रकार के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। वे हैं, सबसे पहले, पीड़ित का आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार (मामलों में शामिल होने का अधिकार, जानने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और सच्चाई की खोज में अदालत की सहायता करने का अधिकार) और दूसरा, मुआवजा मांगने और प्राप्त करने का अधिकार कार्यवाही के दौरान लगी चोटों के लिए आपराधिक अदालत ने ही उचित अंतरिम राहत भी दी।"

13. ***जे.के. में अंतर्राष्ट्रीय***, यह माना गया है कि यदि ऐसी अनुमति देने से न्याय का उद्देश्य बेहतर होगा, तो मजिस्ट्रेट की अदालत आम तौर पर ऐसी अनुमति देगी। जब आपराधिक अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेती है, तो एक पीड़ित निजी व्यक्ति को उस परिदृश्य से पूरी तरह से वंचित नहीं किया जाता है।

14. ***मल्लिकार्जुन कोडगली*** में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति मलिमथ समिति को मंजूरी दी, जिसमें पीड़ित को आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जिसमें पक्षकार बनने का अधिकार, जानने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और सत्य की खोज में अदालत की सहायता करने का अधिकार शामिल है। पहचान लिया गया था.

15. ऐसे निर्धारित सिद्धांतों के मद्देनजर, हम पाते हैं कि यद्यपि मजिस्ट्रेट केवल पूछने पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में न्यायालय की सहायता करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या पीड़ित न्यायालय की सहायता करने की स्थिति में है और क्या मुकदमे में ऐसी जटिलताएँ शामिल नहीं हैं जिन्हें पीड़ित द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसे तथ्यों से संतुष्ट होने पर, मजिस्ट्रेट अनुदान देना अपने अधिकार क्षेत्र में होगापीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले की जांच अपने हाथ में लेने की अनुमति।

16. हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को यहां ऊपर दिए गए मापदंडों की जांच किए बिना मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं। मामला मजिस्ट्रेट को इस बात पर विचार करने के लिए भेजा जाता है कि क्या शिकायतकर्ता को धारा 498-ए, 406 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपील स्वीकार की जाती है.

अंकित ज्ञान अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।